अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रंमाकः—अ.वि.प्रा. / LAO- / प.9 / LFL / 2022—23 / 8287 दिनांक :— 7-10-2022

—:बैठक कार्यवाही विवरणः—

दिनांक 28.09.2022 को श्रीमान् जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर कि अध्यक्षता में भूमि के बदले भूमि आवंटन समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें भूमि अवाप्ति अधिकारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है।

प्रस्ताव संख्याः—1

प्राधिकरण स्तर पर वर्ष 2017 में भूमि के बदले भूमि आवंटन समिति की विभिन्न बैठके आयोजित कर विकसित भूमि आवंटित किये जाने का अनुमोदन कर स्वीकृति हेतु पूर्व में पत्र क्रमांक अविप्रा / पं.9 / LAO / 17 / 1857 दिनांक 17.10.2017 एवं क्रमांक 1933 दिनांक 14.12.17 से राज्य सरकार को निर्णय प्रेषित किये गये थे, इनमें सक्षम स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः—

क्र.स.	बैठक दिनांक	नाम योजना	देय विकसित भूमि का प्रतिशत	निर्णित प्रकरणों की संख्या
1.	02.08.2017	दीन दयाल उपाध्याय पुरम आवासीय योजना	20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक	38
2.	18.08.2017	दीन दयाल उपाध्याय पुरम आवासीय योजना	20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक	71
3	23.08.2017	पृथ्वीराज नगर योजना आवासीय	15 प्रतिशत आवासीय	22
4	23.08.2017	चन्द्रबरदाई नगर आवासीय योजना	15 प्रतिशत आवासीय	21
5	19.09.2017	पृथ्वीराज नगर योजना आवासीय	15 प्रतिशत आवासीय	26
6	17.10.2017	दीन दयाल उपाध्याय पुरम आवासीय योजना	20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक	10
7	17.10.2017	चन्द्रबरदाई नगर आवासीय योजना	15 प्रतिशत आवासीय	2

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा जरिये पत्र कमांकः प. 1(50)नविवि / अविप्रा / 2017 दिनांक 25.01.2018 से कुछ बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई।

उक्त पत्र का प्रत्युत्तर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा जरिये पत्र कमांक / अविप्रा / LAO / 14.06.2018 द्वारा भिजवाया गया ।

प्राधिकरण पत्र कमांक अविप्रा / LAO / 2018 / 7659 दिनांक 09.07.2018 से पूर्व में राज्य सरकार को प्रेषित प्रकरणों का पुनः परीक्षण किये जाने के कारण अग्रिम कार्यवाही स्थगित रखे जाने का निवेदन किया गया ।

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा जरिये पत्र कमांकः प. 1(50)नविवि / अविप्रा / 2017 दिनांक 16.07.2018 से कुछ जानकारीया चाही गई ।

Scanned with CamScanner

उक्त पत्र का प्रत्युत्तर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा जरिये पत्र कमांक/अविप्रा/पं9/LAO/LFL/2021/165 दिनांक 05.04.2021 द्वारा दिया गया।

इससे पूर्व माननीय विधायक श्री सुरेश सिंह रावत द्वारा राजस्थान विधानसभा में प्रश्न सं. 6625 (15 वी विधान सभा) द्वारा प्रश्न उठाया गया कि" क्या भूमि के बदले भूमि आवंटन समिति के निर्णयों को रिव्यू किया जा सकता है यदि हां तो किन नियमों के तहत् । क्या एक समिति के निर्णय को दूसरी समिति द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है यदि हां तो किन नियमों के तहत्।"

इस पर प्राधिकरण स्तर पर विधि शाखा से नियमों का परीक्षण कराया गया जिसमें भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के परीक्षण के आधार पर भूमि अवाप्ति अधिकारी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, सहायक विधि परामर्शी, सचिव महोदय एवं निदेशक विधि की यह राय रही थी कि बिना यथोचित कारण के आवंटन समिति के निर्णयों को पुनः परीक्षण किये जाने के कोई प्रावधान नियमों में नही है जिसका अनुमोदन माननीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा भी किया गया है। पूर्व मे जो रिव्यू किये जाने का निर्णय लिया गया था उसमे कोई यथोचित कारण नही था इसी आधार पर पुनः परीक्षण नही किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसका अनुमोदन माननीय अध्यक्ष महोदय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा भी किया गया है । इस पर पूर्ण परीक्षण/विचार–विमर्श पश्चात् प्राधिकरण स्तर पर यह निर्णय किया गया कि उक्त बैठकों के निर्णयों के पुनः परीक्षण कि कोई आवश्यकता नही है। तद्नुसार विधान सभा में प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण पत्र कमांक 4081 दिनांक 14.08.2020 द्वारा श्रीमान प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग को निवेदन किया गया कि पूर्व पत्र कमांक 1857 दिनांक 17.10.2017 एवं 1933 दिनांक 14.12.2017 द्वारा स्वीकृति हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की भूमि के बदले भूमि आवंटन समिति की दिनांक 02.08.2017, 18.08.2017, 23.08.2017, 19.09.2017 एवं 17.10.2017 को बैठक आयोजित कर सम्बन्धित को विकसित भूमि दिये जाने के पूर्व कमेटी के निर्णयों को श्रीमान् के स्तर से प्रकरण का परीक्षण करवाकर उचित कार्यवाही सम्पादित करावें।

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा जरिये पत्र कमांकः प. 1(50)नविवि/अविप्रा/2017 दिनांक 22.01.2021 से कुछ जानकारियां चाही गई।

उक्त पत्र का प्रत्युत्तर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा जरिये पत्र कमांक/अविप्रा/पं9/LAO/LFL/2021/165 दिनांक 05.04.2021 द्वारा दिया गया।

आयुक्त महोदय द्वारा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय, को अर्द्वशासकीय पत्र दिनांक 17.05.2022 से उक्त बैठकों की स्वीकृति दिये जाने का निवेदन किया।

नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प.1(50)नविवि/अविप्रा/2017 दिनांक 12.07.2022 द्वारा उक्त प्रकरणों में अवगत कराया है कि राज्य सरकार द्वारा आदेश कमांक प.6(29)नविवि/03/2004 दिनांक 01.06.2022 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है अतः समस्त प्रकरणों में आदेश दिनांक 01.06.2022 में वर्णित प्रकिया अनुसार 3 माह में प्राधिकरण स्तर पर आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।

राज्य सरकार के पत्र दिनांक 12.07.2022 एवं आदेश दिनांक 01.06.2022 का प्राधिकरण स्तर पर परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि वर्ष 2017 में बैठकों में लिये गये निर्णयों एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.06.2022 में कोई विरोधाभास नही है अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश की पालना के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

निर्णयः– भूमि अवाप्ति अधिकारी की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया सर्वप्रथम निदेशक विधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2017 की बैठको में जिन परिपत्रों के आधार पर निर्णय लिये गये थे एवं वर्तमान में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.06.2022 में दिये गये निर्देशों में कोई विचलन नही है साथ ही यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार की नवीन नीति आदेश दिनांक 01.06.2022 के बिन्दु सख्या 14.2 (निर्बन्ध) में उल्लेखित है कि जिन प्रकरणों में स्वयं खातेदार को

Scanned with CamScanner

नगद भुगतान हो चुका है या भूमि आवंटन की कार्यवाही/ निर्णय हो चुका है उनको पुनः नही खोला जायेगा।

इस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक प.1(50)नविवि/अविप्रा/2017 जयपुर दिनांक 12.07.2022 के अनुसार वर्ष 2017 की विभिन्न बैठकों के लिये गये निर्णयो के तहत आवंटन की कार्यवाही करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी को निर्देशित किया जावे।

भूमि अवाप्ति अधिकारी निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे।

1. 2017 में भूमि के बदले भूमि की विभिन्न बैठको में लिये गये निर्णय के अनुसार आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.6(29)नविवि/3/2004 दिनांक 01.06.2022 (विकसित भूखण्ड आवंटन निति) व समय–समय पर जारी अन्य परिपत्रों के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित रखते हुए की जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 28.11.2016 एवं 10.09.2020 द्वारा निर्देशित किया गया है कि "आबी/तालाब की भूमियों का उपयोग नही किया जा सकता है। अतः इस किस्म की भूमियों के बदले भूमि दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है" अतः जिन भूमियो की किस्म आबी दर्ज है उनमें आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही नही की जावे।
3. आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि जिस भूमि के बदले विकसित भूमि प्रदान की जा रही है उस भूमि का कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त हो चुका है।
4. जिन प्रकरणों में मुआवजा राशि सक्षम न्यायालय में जमा है उनमें आवंटन से पूर्व मुआवजा राशि न्यायालय से प्राप्त की जावे तत्पश्चात् आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही की जावे।
5. नामित व्यक्तियों बाबत् राज्य सरकार के समय–समय पर जारी परिपत्र/निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।
6. भूमि आवंटन पत्र जारी करने से पूर्व भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रकरणों की नियमानुसार जांच करके ही अग्रिम कार्यवाही करें।
7. पूर्व की बैठकों में जो प्रकरण स्थगित/Defer किये गये थे उन्हे आगामी बैठकों में रखा जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

कमेटी के सदस्य गण

निदेशक वित्त, अविप्रा,अजमेर	निदेशक आयोजना, अविप्रा, अजमेर	निदेशक विधि, अविप्रा, अजमेर
आयुक्त, अविप्रा,अजमेर	सचिव, अविप्रा,अजमेर	अध्यक्ष, अविप्रा,अजमेर

Scanned with CamScanner